

परियोजना की परिधि में सेन्चुरी क्षेत्र/वन्यजीव विहार या ईको सेन्सेटिव जोन
सम्बन्धित प्रमाण पत्र

जनपद इटावा के अन्तर्गत इटावा-ग्वालियर मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-92 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-719) के किमी०-70.500 से 74.700 तक के भाग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में 6.930 हे० वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत अनुमति प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव में प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना राष्ट्रीय चम्बल वन्यजीव विहार के सेन्चुरी क्षेत्र के अन्तर्गत है जिसकी अनुमति वन्यजीव संरक्षण अधिनियम-1972 के अन्तर्गत नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से नियमानुसार कार्यवाही करते हुये प्राप्त की जायेगी।

स्थान- इटावा

दिनांक- 14-07-2022


(शिव प्रसाद)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
बड़पुरा (इटावा)


(संजय सिंह)
उप प्रभागीय वनाधिकारी
सामाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा


(अतुल कान्त शुक्ला)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा